—: जन साधारण से सहयोग :—

विषय :— मध्यप्रदेश के अनुसूचित जातियों के समग्र विकास हेतु कार्य योजना ।

मध्यप्रदेश शासन के कार्यालय आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास पत्र क.योजना/2016—17/1460 दिनांक 23 मई 2016 द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनवरी 2016 को विभागीय समीक्षा में निर्देश दिए गए हैं कि अनुसूचित जातियों के समग्र विकास हेतु कार्य योजना तैयार की जाये। आयुक्त कार्यालय द्वारा अपेक्षा की गई है कि विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति वर्ग के सर्वागीण विकास यथा आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, रोजगार, कृषि, संवैधानिक अधिकार, पशु व मछली पालन, सिंचाई सुविधाओं, लघु व कुटीर उद्योग इत्यादि, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में पहुॅच मार्ग निर्माण आदि को सम्मलित करते हुए समग्र कार्य योजना तैयार की जाये तथा माननीय मुख्यमंत्री की अपेक्षा अनुरूप कार्य योजना के प्रभावी कियान्वयन हेतु कार्यवाही की जा सके ।

विश्वविद्यालय अधिनियम 2015 के सेक्शन 4 अनुसार विश्वविद्यालय का लक्ष्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के सामाजिक आर्थिक विकास और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए तथा इन वर्गो हेतु नीतियॉ एवं कार्यक्रमों को बनाना है ।

विश्वविद्यालय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री की अपेक्षा अनुरूप अनुसूचित जातियॉ के समग्र विकास हतु कार्य योजना को उत्कृष्ट शोध गुणवत्तावाली रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाना प्रत्तावित है। मध्यप्रदेश के सभी जिला अधिकारियों से एक प्रोफार्मा में कार्यान्वत की जा रही सभी योजनाओं परियोजनाओं एवं उनका अनुसूचित जाति के विकास पर असर की जानकारी मांगो गई है इस हेतु दो दिवसीय शोध कार्यशाला दिनांक 10 व 11 जून 2016 को आयोजित किया जाना प्रस्तावित है ।

इस संबंध में सभी गणमान्य व्यक्तियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, प्रबुद्ध लोगों एवं सर्वसाधारण से अनुरोध है कि अनुसूचित जाति के समग्र विकास के लिये अपने—अपने सुझाव, नई—नई योजनायें इत्यादि बनाकर विश्वविद्यालय, महू को भेज दे अथवा विश्वविद्यालय को brauss2016@gmail.com पर मेल कर दें। अच्छी योजनाओ, परियोजनाओं के लिये विश्वविद्यालय उन्हें सम्मानित करेगा।